अधिसूचना

08 सितम्बर, 2017 ई0

संख्या F-9(21)(VI)/RG/UERC/2017/991--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(e) सपठित धारा 181(2)(zp) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधनों के साथ पठित उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो तथा गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 (मुख्य विनियम) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथाः

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचनः

1. इन विनियमों का नाम उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो तथा गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (छठा संशोधन) विनियम, 2017 होगा।

2. यह विनियम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे, एवं जब तक आयोग की ओर से समीक्षा या विस्तारित नहीं किया जाता तब तक मुख्य विनियम के आरम्भ की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिये लागू रहेगा।

परन्तु मुख्य विनियम का विनियम 9(1) 31.03.2019 तक वैध होने तक जारी रहेगा।

2. मुख्य विनियमों के विनियम 2(3) में संशोधनः

विनियम 3(1) (bb) के पश्चात् "प्रदर्शन अनुपात" की निम्नलिखित परिभाषा को जोड़ा जायेगाः

"(i) प्रदर्शन अनुपात" (पीआर) का अर्थ है संयंत्र आउटपुट अनुपात बनाम किसी मापित विकिरण के संदर्भ में स्थापित संयंत्र क्षमता का अनुपात।

$$\text{पीआर} = \frac{\text{मापित आउटपुट किलोवॉट में}}{\text{स्थापित संयंत्र की क्षमता किलोवॉट में}} \times \frac{1000\,W/m2}{\text{मापी गयी विकिरण मात्रा}\,W/m2\text{ में}}$$

3. मुख्य विनियमों के उप–विनियम 3(1) (1) में संशोधनः

संशोधित विनियम को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः

"वाणिज्यिक परिचालन या स्थापना की तिथि (सी0ओ0डी0)" का सम्बन्ध एक सफल परीक्षण चलाने और उसके संबंध में अधिकतम निरन्तर रेटिंग प्राप्त करने पर उत्पादनकर्ता द्वारा घोषित तिथि, वाणिज्यिक परिचालन या स्थापना की तिथि से अर्थ है कि अन्तिम इकाई के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि या उत्पादन परियोजना और खर्च 'कमीशनिंग का ब्लॉक तद्नुसार समझा जायेगा। लघु जल विद्युत संयंत्रों के मामलों में, कमीशनिंग की तिथि को हालाँकि अधिकतम निरन्तर रेटिंग प्राप्त करने से जोड़ा नहीं जायेगा, परन्तु उत्पादक द्वारा उसको कमीशनिंग के तीन वर्षों के भीतर प्रदर्शित करना होगा।

परन्तु, कि सोलर पॉवर संयंत्र के मामले में वाणिज्यिक संचालन या कमीशनिंग (सीओडी) की तिथि हर प्रकार से परियोजना को पूरा करने के बाद लाइसेंसधारी के ग्रिड में विद्युत के पहले अन्तः क्षेपण की तिथि के रूप में निम्नलिखित सभी पूर्व–आवश्यकताओं के अनुपालन होने पर मानी जायेगी, :

a. वितरण अनुज्ञापी के सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा प्रमाणित विद्युत मीटर का संस्थापन।

b. राज्य नोडल एजेंसी उरेडा द्वारा सत्यापित परियोजना पूर्ण रिपोर्ट।

c. विद्युत निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रमाणपत्र जारी।

4. मुख्य विनियमों के विनियम 9(1) में संशोधनः

"(1) अधिनियम, राष्ट्रीय विद्युत नीति, टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा और गैर–पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत्रों को बढ़ावा देने के लिये, सभी मौजूदा एवं भविष्य के वितरण अनुज्ञापियों, कैप्टिव उपयोगकर्ता तथा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहको को राज्य में "दायित्वाधीन ईकाई" कहा जायेगा जो स्वयं के उपभोग के लिये अपनी कुल विद्युत आवश्यकता के न्यूनतम प्रतिशत की खरीद के लिये बाध्य होगी, जैसा कि विनियम 4 में परिभाषित योग्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो के अन्तर्गत नीचे इंगित किया गया है इसी को नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर0पी0ओ0) की दायित्वाधीन ईकाई कहा जायेगा।

वर्ष	नवीकरणीय क्रय दायित्व – गैर सौर	नवीकरणीय क्रय दायित्व – सौर
	संशोधित	संशोधित
2013–14	6.00%	0.050%
2014–15	7.00%	0.075%
2015–16	8.00%	0.100%
2016–17	8.00%	1.50%
2017–18	9.50%	4.75%
2018–19	10.25%	6.75%

प्रतिशत आरपीओ, जैसा कि उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है, गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन एवं वर्ष के दौरान स्वंय के उपभोग के लिये सभी स्रोतों/दायित्वाधीन ईकाई द्वारा उत्पादित/क्रय की गई कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन है।

जहाँ विभिन्न दायित्वाधीन ईकाईयों के लिये खरीदी गई कुल ऊर्जा निम्नानुसार होगीः

a. डिस्कोम हेतु खरीदी गई कुल ऊर्जा राज्य की परिधि में स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान ऊर्जा इनपुट होगी, तथा

b. उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपभोक्ताओं हेतु खरीदी गई कुल ऊर्जा स्वयं के उपभोग के लिये वर्ष के दौरान आहरण/उपभोग बिंदु पर दर्ज की गई उपभोग की मात्रा होगीः

परन्तु, वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये गैर–सौर एवं सौर आरपीओ विद्युत के जल स्रोतो से मिली खपत को छोड़कर किसी दायित्वाधीन ईकाई द्वारा विद्युत की कुल खपत पर लागू होगा।

परन्तु, उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओ और कैप्टिव उपभोक्ताओं पर किसी भी आधिक्य दायित्व (सौर के साथ–साथ गैर–सौर भी) जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये संशोधित होने के कारण उत्पन्न हुए हो, को वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु आगे बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी, जो पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के आरपीओ के साथ मिलेगा।

परन्तु, यदि राज्य में नवीकरणीय और गैर–पारंपरिक स्रोतो से ऊर्जा उपलब्ध हो, तो राज्य की उत्पादक या वितरण कम्पनी विनिर्दिष्ट आरपीओ से अधिक ऐसी ऊर्जा की खरीद की अनुमति हेतु आयोग के पास निवेदन कर सकता है।

5. मुख्य विनियमों के विनियम 28 में संशोधनः

संशोधित विनियम को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः

"लघु जल विद्युत संयंत्र

लघु जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये जेनरिक टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रौद्योगिकी आधारित मानक निम्नवत् होंगेः

01.04.2013 को या उसके पश्चात कमीशंड परियोजनाएं

परियोजना का आकार	पूंजी लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओ एंड एम व्यय	क्षमता उपयोग घटक	सहायक उपभोग
	(₹ लाख/MW)	(₹ लाख/MW)	(%)	(%)
5 MW तक	785	35.33	40%	1%
>5 MW एवं 15 MW तक	750	30.00		
>15 MW एवं 25 MW तक	715	25.03		

नोटः

इस विनियम के प्रयोजन के लिए मानकीय CUF अन्तः संयोजन बिंदु पर भेजी गई ऊर्जा पर आधारित है तथा टैरिफ प्रयोजनों के लिये गृह राज्य को निशुल्क विद्युत की शुद्ध ऊर्जा, यदि कोई हो, जो उत्पादक द्वारा प्रतिबद्ध है, को फैक्टर्ड किया जायेगा। जेनेरिक टैरिफ के निर्धारण हेतु गृह राज्य के अंश को 16 वें वर्ष से 18% के रूप में लिया जायेगा।

6. मुख्य विनियमों के विनियम 35(3) एवं विनियम 35(4) में संशोधनः

संशोधित विनियम को निम्नानुसार पढ़ा जायेगाः

"(3) योग्य उपभोक्ता (ओं) या तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाले सोलर रूफ–टॉप पॉवर प्लाण्ट स्रोतो से हुए अन्तःक्षेपण को प्रत्येक बिलिंग अवधि के अन्त में शुद्ध ऊर्जा के आधार पर निश्चित किया जायेगा।

परन्तु, ऐसी शुद्ध ऊर्जा, उक्त बिलिंग अवधि में उत्पन्न वास्तविक ऊर्जा के 95% से अधिक नहीं होगी।

परन्तु, जहां अन्तःक्षेपण शुद्ध ऊर्जा बिलिंग अवधि में वास्तविक ऊर्जा के 95% से अधिक हो, तो ऐसी अधिक्य शुद्ध ऊर्जा (शुद्ध ऊर्जा–उत्पादित वास्तविक ऊर्जा का 95%) पर भुगतान दर अनुसूची में निर्धारित उपरोक्त पात्र उपभोक्ता के लिये ऊर्जा प्रभार का न्यूनतम आधार स्लैब या पर टैरिफ बोली प्रक्रिया पर आधारित शोधित दर जो भी कम हो।

4. उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति किये जाने के संबंध में आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार टैरिफ, बिलिंग अवधि में लाइसेन्सी द्वारा आपूर्ति की गई शुद्ध ऊर्जा पर लागू होगा, यदि लाइसेन्सी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा, उपभोक्ता (ओं)/तीसरे पक्ष के रूफ–टॉप सोलर पीवी स्रोतों से अन्तःक्षेपित ऊर्जा से अधिक हो।
परन्तु इस प्रकार के ऐसे योग्य उपभोक्ता को स्थापित सोलर रूफ टॉप पीवी स्रोतों की क्षमता के बराबर मासिक न्यूनतम प्रभार या मासिक न्यूनतम उपभोग गारण्टी प्रभार के भुगतान से छूट प्रदान की जायेगी।
परन्तु, ऊर्जा के कैप्टिव उपयोग के लिए ऐसे पात्र उपभोक्ताओं पर कोई भी उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (अधिभार सहित) उद्ग्रहित नहीं होगा।

01.10.2017 से 40% वार्षिक **CUF** तक लागू SHP's (25MW तक) हेतु स्तरीकृत दर ₹/kWh में।

विवरण		01.04.2013 को या उसके पश्चात कमीशन्ड SHP											
		5 MW तक					5 से 15 MW तक				15 से 25 तक		
		सकल शुल्क	घटायाः त्वरित मूल्य ह्रास	कुल शुल्क			सकल शुल्क	घटायाः त्वरित मूल्य ह्रास	कुल शुल्क		सकल शुल्क	घटायाः त्वरित मूल्य ह्रास	कुल शुल्क
1. स्तरीकृत (35 वर्ष)		5.04	0.35	4.69			4.77	0.35	4.42		4.41	0.35	4.06
2. वार्षिक दर	वर्ष												
	1.*	5.29	1.56	3.73			5.06	1.49	3.57		4.76	1.42	3.34
	2.	5.16	1.69	3.48			4.94	1.61	3.33		4.63	1.53	3.10
	3.	5.04	0.14	4.89			4.81	0.13	4.68		4.51	0.13	4.38
	4.	4.91	-0.11	5.02			4.69	-0.11	4.79		4.38	-0.10	4.49
	5.	5.13	-0.14	5.27			4.84	-0.13	4.97		4.26	-0.13	4.39
	6.	5.03	-0.13	5.16			4.74	-0.12	4.86		4.14	-0.12	4.26
	7.	4.94	-0.11	5.05			4.64	-0.11	4.75		4.03	-0.10	4.13
	8.	4.85	-0.10	4.94			4.55	-0.09	4.64		3.92	-0.09	4.01
	9.	4.76	-0.08	4.85			4.46	-0.08	4.54		3.80	-0.08	3.88
	10.	4.68	-0.07	4.76			4.37	-0.07	4.44		3.70	-0.07	3.76
	11.	4.89	-0.06	4.95			4.55	-0.06	4.61		3.84	-0.06	3.90
	12.	4.92	-0.05	4.97			4.54	-0.05	4.59		3.79	-0.05	3.84
	13.	3.95	-0.01	3.96			3.56	-0.01	3.57		2.82	-0.01	2.83
	14.	4.07	-0.01	4.08			3.66	-0.01	3.67		2.89	-0.01	2.90
	15.	4.20	-0.01	4.20			3.76	-0.01	3.77		2.96	-0.01	2.96
	16.	5.28	-0.01	5.29			4.73	-0.01	4.74		3.69	-0.01	3.70
	17.	5.45	-0.01	5.46			4.88	-0.01	4.88		3.79	-0.01	3.79
	18.	5.64	-0.01	5.64			5.03	-0.01	5.04		3.88	-0.01	3.89
	19.	5.83	-0.01	5.83			5.20	-0.01	5.20		3.99	-0.01	3.99
	20.	6.03	0.00	6.04			5.37	0.00	5.37		4.10	0.00	4.10
	21.	6.25	0.00	6.25			5.55	0.00	5.56		4.21	0.00	4.22
	22.	6.48	0.00	6.48			5.75	0.00	5.75		4.34	0.00	4.34
	23.	6.72	0.00	6.72			5.95	0.00	5.95		4.47	0.00	4.47
	24.	6.97	0.00	6.98			6.17	0.00	6.17		4.60	0.00	4.61
	25.	7.24	0.00	7.24			6.40	0.00	6.40		4.75	0.00	4.75
	26.	7.53	0.00	7.53			6.64	0.00	6.64		4.90	0.00	4.90
	27.	7.83	0.00	7.83			6.89	0.00	6.89		5.06	0.00	5.07
	28.	8.15	0.00	8.15			7.16	0.00	7.16		5.24	0.00	5.24
	29.	8.48	0.00	8.48			7.45	0.00	7.45		5.42	0.00	5.42
	30.	8.84	0.00	8.84			7.75	0.00	7.75		5.61	0.00	5.61
	31.	9.22	0.00	9.22			8.07	0.00	8.07		5.81	0.00	5.81
	32.	9.61	0.00	9.61			8.41	0.00	8.41		6.03	0.00	6.03
	33.	10.03	0.00	10.03			8.77	0.00	8.77		6.25	0.00	6.25
	34.	10.48	0.00	10.48			9.14	0.00	9.14		6.49	0.00	6.49
	35.	10.95	0.00	10.95			9.54	0.00	9.54		6.74	0.00	6.75

*वर्ष 01 जेनरिक दरों के लिए कमीशिनंग का वर्ष होगा।

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,
सचिव।